रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224350 CG-DL-E-12012021-224350

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] No. 92] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2021

का.आ.106(अ).—केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करती है जिसे राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने से ठीक पहले नियुक्त किए गए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 56 में यथा उपबंधित उसी तरह धारण के पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. जे-9/5/2020-सीपीयू] अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

162 GI/2021 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2021

- **S.O. 106(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 53 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby establishes a National Consumer Disputes Redressal Commission to be known as the National Commission.
- 2. The President and every other member of the National Commission appointed immediately before the commencement of the Consumer Protection Act, 2019 shall continue to hold office as the President and Member of the National Commission as provided in section 56 of the said Act.

[F. No. J-9/5/2020-CPU] ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.